न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 06 / 21 सन् 2021

RCMS NO-2021/ 57

बउनवानीः—1. महेन्द्र पुत्र राधेश्याम जाति गुजराती ब्राहामण नि0 ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा
2. सुरेन्द्र पुत्र राधेश्याम जाति गुजराती ब्राहामण नि0 ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा
3. नरेन्द्र पुत्र राधेश्याम जाति गुजराती ब्राहामण नि0 ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

1. श्रीमति कंचन देवी पत्नि स्व0 राधेश्याम ब्राहामण नि0 सोलपुर(ईसरदा)तह0 चौथ का बरवाडा
2. मोहनलाल पुत्र स्व0 राधेश्याम ब्राहामण नि0 सोलपुर(ईसरदा)तह0 चौथ का बरवाडा
3. रमेशचन्द स्व0 पुत्र राधेश्याम ब्राहामण नि0 सोलपुर(ईसरदा)तह0 चौथ का बरवाडा
4. महावीरप्रसाद पुत्र स्व0 राधेश्याम ब्राहामण नि0 सोलपुर(ईसरदा)तह0 चौथ का बरवाडा
5. सम्पत कुमार पुत्र स्व0 राधेश्याम ब्राहामण नि0 सोलपुर(ईसरदा)तह0 चौथ का बरवाडा
6. कमला देवी पुत्री स्व0 राधेश्याम ब्राहामण नि0 सोलपुर(ईसरदा)तह0 चौथ का बरवाडा
7. दुर्गा देवी पुत्री स्व0 राधेश्याम ब्राहामण नि0 सोलपुर(ईसरदा)तह0 चौथ का बरवाडा
8. सुशीला देवी पुत्री स्व0 राधेश्याम ब्राहामण नि0 सोलपुर(ईसरदा)तह0 चौथ का बरवाडा
9. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर
10. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 293 दिनांक 30.12.1962 वाके ग्राम ईसरदा तह0 सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील अपीलान्टगण

—: निर्णय :— दिनांक 30.4.2025

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर के द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 293 दिनांक 30.12.1962 वाके ग्राम ईसरदा तहसील सवाईमाधोपुर हाल चौथ का बरवाडा के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी किन्तु बावजूद नोटिस तामील रेस्पो0 उपस्थित नही हुऐ। अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील अपीलान्ट सुनी गयी।

वकील अपीलान्टगण ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि साबिक आराजी ख0न0 495 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम ईसरदा अपीलान्ट के स्व0 पिता राधेश्याम पुत्र छोगालाल जाति गुजराती ब्राहामण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजीयात रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 8 के स्व0 पिता राधेश्याम पुत्र लक्ष्मीनारायण ब्राहामण निवासी सोलपुर (ईसरदा) के नाम जरिये नामा0 संख्या 293 दिनांक 30.12.1962 को पुराना कब्जा मानते हुए अपीलान्ट की पैतृक भूमि को गलत तरीके से अपने नाम उक्त नामा0 से करवा लिया है। अपीलान्ट के पिता राधेश्याम पुत्र छोगालाल ईसरदा के तथा रेस्पो0 के पिता राधेश्याम पुत्र लक्ष्मीनारायण सोलपुर के निवासी होने से विपक्षीगणों का विवादित भूमि से कोई लेना देना नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षीगणो के पिता के नाम विवादित नामा0 खोलकर भारी भूल की है। साबिक ख0न0 495 रकबा 3 बिघा 13 बिस्वा के हाल ख0न0 1091 रकबा 0.82 है0 बने है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी कारण के अपीलान्ट के पिता की खातेदारी को समाप्त कर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 16:12:31 IST
Reason: SelfAttested

.....(1).....

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर

विपक्षीगणो के पिता की खातेदारी मे दर्ज करने का कोई अधिकार प्राप्त नही था पुराने कब्जे के आधार पर नामा0 भरना बताकर तस्दीक किया गया है जबकि उक्त भूमि पर विपक्षीगणों के पिता का कभी कब्जा ही नही रहा है। आज भी उक्त भूमि अपीलान्ट के कब्जे काश्त में है व अपीलान्टस का ही कब्जा है। न्यायालय यदि उचित समझे तो तहसीलदार से मौका रिपोट मंगवालें। विवादित भूमि का खातेदार राधेश्याम पुत्र छोगालाल सन,1962 मे जीवित थे ओर विवादित भूमि पर काबिज थे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को उनको तलब कर सुना जाना चाहिए थो ऐसा न करके अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। यह तर्क भी दिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के पेज संख्या 62,65,67 की प्रति पेश कर निवेदन किया कि धारा 19 मे खातेदारी दिये जाने का तहसीलदार कोई अधिकार नही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड एवं मौके की जॉच किये बिना एवं बिना माईण्ड एप्लाई किये कानून को अनदेखा कर आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो खारिज योग्य है। यह तर्क भ दिया कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.2.2021 को पटवारी हल्का के बताने पर प्राप्त होने पर उसी दिन नामा0 की नकल लेने हेतु अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 23.2.2021 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के पेश की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि आदेश जैर अपील संख्या 293 दिनांक 30.12.1962 वाके ग्राम ईसरदा तहसील सवाईमाधोपुर हाल चौथ का बरवाडा से संबंधित आराजीयात साबिक आराजी ख0न0 495 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2018–2021 के अपीलान्ट के पूर्वज राधेश्याम पुत्र छोगालाल ब्राहामण के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिसपर रेस्पो0 के पूर्वज राधेश्याम पुत्र लक्ष्मीनारायण का कब्जा 1955 से पूर्व का होने के कारण अपीलान्ट के पूर्वज राधेश्याम पुत्र छोगालाल के बजाय रेस्पो. के पूर्वज राधेश्याम पुत्र लक्ष्मीनारायण को धारा 19 के तहत हकूक खातेदारी का भरकर दर्ज फैसल किया गया है। जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा लगभग 62 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा स्वंय का कब्जा काश्त बताया गया है जबकि तहसीलदार द्वारा रेस्पो. के पूर्वज के नाम कब्जे के आधार पर हकूक खातेदारी का उक्त नामा0 भरा गया है। इसलिए आदेश जैर अपील से संबंधित भूमि पर अपीलान्ट द्वारा स्वंय का कब्जा काश्त होने बाबत किया गया कथन विरोधाभाषी है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। अपीलान्ट चाहे तो अपने अधिकार तय करवाने सक्षम न्यायालय में वाद पेश कर सकता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.4.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:12:31 IST
Reason: SelfAttested